

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No.
2425/2025

In

S. B. Criminal Appeal No. 1358/2025

Pradeep Kumar Nayak Son Of Peeruram Nayak, Resident Of
Nayko Ka Mohalla, Basant Vihar Sikar, Police Station Udhyog
Nagar, Sikar District Sikar (Rajasthan)
(At Present In District Jail Sikar)

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.P.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mukesh Kumar Dudi, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP with Mr. Navdeep Singh, AAAG Mr. Amitesh Rana, Adv. for Mr. Rakesh Kumar Saini, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

04/05/2026

1. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से धारा **430 बीएनएसएस** के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।
2. प्रार्थी-अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय **अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-2, जिला-सीकर** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **100/2023** में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 06.05.2025 के माध्यम से धारा 376(1), 450, 323 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम 10 वर्ष के **साधारण** कारावास की सजा से दंडित किया है।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का निवेदन है कि प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, अभियुक्त

पीड़िता का सगा देवर है, कथित घटना के समय पीड़िता की सास अर्थात् अभियुक्त की माता घर पर थी और उनकी उपस्थिति में इस प्रकार की घटना होना स्वाभाविक नहीं कही जा सकती, वास्तव में पीड़िता के पति व अभियुक्त के बीच में संपत्ति को लेकर विवाद है, उसके आधार पर मिथ्या आरोपण किया गया है, कोई वैज्ञानिक साक्ष्य अर्थात् एफ.एस.एल. व डी.एन.ए. रिपोर्ट अभियुक्त के विरुद्ध नहीं आई है। उनका यह भी निवेदन है कि अभियुक्त अधिकतम 10 वर्ष की सजा के मुकाबले 1 वर्ष 5 माह की सजा भुगत चुका है, दोषसिद्धि हेतु पत्रावली पर कोई सुदृढ साक्ष्य नहीं रही है, दौराने अन्वीक्षा जमानत पर था, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अपील में अभियुक्त के दोषमुक्त होने की पूर्ण संभावना है, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

4. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए योग्य लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपराध की गंभीरता तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, सुदृढ साक्ष्य आदि को देखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. वर्तमान मामले में 30 वर्षीय पीड़िता द्वारा अपने देवर-अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि दोपहर के समय में अभियुक्त ने उसके कमरे में आकर जबरन दुष्कर्म किया। धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों में यह भी दोहराया है कि उसने घटना के बारे में घर में उपस्थित अपनी सास को बताया लेकिन उसने उसका पक्ष नहीं लेकर अभियुक्त का पक्ष लिया। विचारण न्यायालय द्वारा पीड़िता के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है। डी.एन.ए., एफ.एस.एल. रिपोर्ट आदि अभियुक्त के विरुद्ध हो, ऐसी स्थिति नहीं है।

7. अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त **प्रदीप कुमार नायक पुत्र पीरूराम नायक** इस न्यायालय में दिनांक **08.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये** का बंधपत्र एवं **पचास-पचास हजार रुपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित **06.05.2025** के तहत दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J